

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र कपूरडी  
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

उगराराम पुत्र उदाराम जाति जाट  
निवासी रोहिली तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1. पाबूराम पुत्र लाखाराम
2. सोनाराम पुत्र उदाराम
3. टीकमाराम पुत्र नानगाराम
4. उमेदाराम पुत्र नंदराम जातियान  
जाट निवासीयान रोहिली तहसील  
व जिला बाड़मेर
5. देराजराम पुत्र  
लिछमणाराम जाति जाट निवासी  
पाबड़ों की ढाणी, कपूरडी  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-71/2021 दिनांक-07.12.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हलका कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 767/84 रकबा 42.14 बीघा, के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी का वाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 07/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6547-6550

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उगराराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पाबूराम पुत्र लाखाराम वगौराह जाति जाट निवासी रोहिली एवं पाबड़ों की ढाणी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर।